अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और विविध प्रावधान) (संशोधन) अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और विविध प्रावधान) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 11 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया। अध्यादेश उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और विविध प्रावधान) एक्ट, 1981 में संशोधन करता है। 1981 का एक्ट राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रावधान है कि भले ही मंत्री राज्य विधानसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के, उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों का मेहनताना और पेंशन) एक्ट, 1980 के अंतर्गत कुछ लाभ मिलते रहेंगे। इन लाभों में निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और टेलीफोन की सुविधा इत्यादि शामिल हैं। 1980 का एक्ट राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्तों का प्रावधान करता है।
- 1981 के एक्ट के अंतर्गत मंत्री हर महीने 40,000 रुपए के वेतन के लिए अधिकृत हैं। 1980 के एक्ट के अंतर्गत वे निम्नलिखित के लिए अधिकृत हैं: (i) निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते के रूप में मासिक 50,000 रुपए, और (ii) सचिवालयी भत्ते के रूप में मासिक 20,000 रुपए। अध्यादेश वेतन, निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ते और सचिवालयी भत्ते में 30% की कटौती के लिए 1981 के एक्ट में संशोधन करता है।
- यह संशोधन एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है, जोकि अप्रैल 2020 से प्रारंभ होता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अखिल एन.आर.
akhil@prsindia.org

19 अगस्त, 2020